B-3/4
L-35
Ethics

शासन व्यवस्था में ईमानदारी (Probity)

- देश के सामाजिक आर्थिक विकास और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में सरकारी तंत्र और उसमें कार्यरत कार्मियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

वे कानूनों, नीतियों और योजनाओं के सूत्रधार और प्रवर्तक दोनों हैं। ऐसी स्थिति में उनमें शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी का होना आवश्यक है।

ईमानदारी का अर्थ है सच्चाई के साथ काम करते हुए अपने दायित्वों को पूरा करना इस प्रकार यह सत्य का साथ देने पर बल देता है।

शासन व्यवस्था में ईमानदारी का आशय सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके क्रिया-कलापों में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी एवं न्यायप्रिय शासन उपलब्ध कराना है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी प्रशासनिक क्रिया कलापों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता व्यवहार में नैतिक तत्परता, भेदभाव रहितता और गुणवत्ता पूर्ण सेवा की आपूर्ति को दर्शाता है। यह सुशासन और नैतिक शासन की स्थापना में सहायक है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Honesty	Probity
- इसमें झूठ नही बोलना, चोरी नही करना, धोखा नही देना, वित्तीय मामलों में शुचितापूर्ण व्यवहार करना, सत्य का साथ देना आदि सम्मिलित होते हैं।	- Probity में निष्पक्षता, न्यायप्रियता, दूसरों के हितों का सम्मान, सकारात्मक कार्य संस्कृति तथा उच्च नैतिक मानदण्डों के अनुसार आचरण आदि भी सम्मिलित होते हैं।
- Honesty में व्यक्तिगत आचरण की पवित्रता पर बल दिया जाता है।	- संस्था या विभाग के क्रियाकलापों में स्वच्छता, पवित्रता, न्यायप्रियता, एवं मूल्य उन्मुखता का भाव

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

शासन व्यवस्था में ईमानदारी के व्यवहारिक आयाम :

- सिविल सेवक को तथ्य एवं संबंधित मुद्दे को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। कोई त्रुटि या गलती होने पर तुरंत सुधार करना चाहिए।
- संसाधनों का प्रयोग केवल उन अधिकृत उद्देश्यों के लिए करना चाहिए जिनके लिए उन्हें उपलब्ध कराया गया है।
- उन्हें किसी के अनुचित दबाव और व्यक्तिगत लाभों से अप्रभावित रहना चाहिए।
- विधायिका द्वारा मांगे जाने पर उन्हे निष्पक्ष और निर्भीक सलाह देनी चाहिए।

इस प्रकार Probity कार्यालय में लोकसेवक से आदर्श व्यवहार की कल्पना करती है।

शासन व्यवस्था में ईमानदारी होने पर लाभ :-

- जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार होगा। नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारों का सदुपयोग और कर्तव्यों का निर्वहन होगा। सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
- स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन की स्थापना होगी।

Topic-No-3 से आगे लिखना

स्वर्णिम सूत्र का उल्लेख

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

ईमानदारी का दार्शनिक आधार :-

गीता- गीता में निष्काम कर्म की अवधारणा कर्म फल की आशक्ति से रहित होकर पद और स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने की प्रेरणा देती है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी राजनीतिक दबाव भय और लोभ से रहित होकर अपना कर्तव्यों का सम्पादन करना चाहिए।
गीता में 'लोक संग्रह" अर्थात सामाजिक कल्याण को जीवन का लक्ष्य माना गया है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी होने पर इस लक्ष्य की सिद्धि संभव है।

- बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अन्तर्गत

वर्णित सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्मांत और सम्यक जीव की अवधारणा शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ाने में सहायक है।

- जैन दर्शन में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन ज्ञान, चरित्र की अवधारणा भी शासन व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा देती।

- प्रशासकों में संवैधानिक मूल्यों और कानूनों के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उन्हे उनका समुचित ज्ञान होना चाहिए ऐसा होने पर ही वे उनके अनुसार आचरण करना चाहिए।

- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी शासन व्यवस्था में नैतिक आचरण आवश्यक है उन्होंने राजा के जीवन को जनता के प्रति समर्पित किया है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने दार्शनिक राजा की संकल्पना की है और उसमें विवेक साहस संयम और न्याय जैसे सद्‌गुणों का समावेश माना है

- अरस्तू मध्यम मार्ग के चयन को आवश्यक मानते हैं।

गांधी एवं कांट को भी लिखा जा सकता है। → PDF Notes से

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

पारदर्शिता एवं सूचना का अधिकार

पारदर्शिता का आशय है खुलापन अर्थात लोगों को विभागीय गतिविधियों के विषय में अधिक से अधिक जानने का अवसर मिले। यह विभाग से लोगों तक सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रभावी बनाता है।

महत्व-

- यह भ्रष्टाचार नियंत्रण में सहायक है,
- यह विभागीय अनियमितताओं, निरंकुशता, विलम्बकारिता जैसे दुर्गुणों को दूर करने में सहायक है। यह सरकार और नागरिक के बीच दूरी को कम करने में सहायक है।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

यह शासन और प्रशासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देता है इससे प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से सभी नागरिकों को लोकपदाधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया इस रूप में यह शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है।

लोक पदाधिकारि से कोई भी सूचना मांगी जा सकती है।

लोक पदाधिकारी का आशय ऐसी अधिकारी से है जो संविधान या विधि या सरकारी आदेश के अधीन गठित किया गया है। इसके अधीन वे गैर सरकारी संगठन भी आ जाते हैं जो सार्वजनिक निधि का उपयोग करते हैं।

सूचना के अधिकार का अर्थ सूचनाओं को प्राप्त करने से है अथवा विभाग में जाकर सूचनाओं का निरीक्षण करना है, यहां सूचना का अर्थ है लोक पदाधिकारी के अधीन रखी गई जानकारी तथ्य, आंकड़े, फाइल, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज आदि।

कोई भी व्यक्ति जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सूचना मांग सकता है इसके लिए कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

KGS IAS KHAN SIR